| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

22/1/25

**न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।**

**एस०ए०आर०वाद सं०-167/2013-14**

**जितेन्द्र नाथ शाही , .....आवेदक।**

**बनाम्**

**गणेश महतो,**
**1. पुशुवा महतो**
**2. रामकृष्ण महतो**
**3. विजय महतो ..... विपक्षीगण।**

## *आदेश*

आवेदक जितेन्द्र नाथ शाही पिता–मानकी लाधु शाही, निवास ग्राम–सिलवे, थाना–टाटीसिलवे, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन को विपक्षी गणेश महतो, पिता–स्व० टुम्बु महतो, गणेश महतो की मृत्यु हो गई इसके स्थान पर 1. पुशुवा महतो, 2. रामकृष्ण महतो, 3. विजय महतो, तीनों के पिता–गणेश महतो को पक्षकार बनाया, निवासी ग्राम–सिलवे, थाना–टाटीसिलवे, जिला–राँची द्वारा भूमि को छल प्रपंच से हड़प लिया गया है।

**जमीन का विवरण**

| मौजा | थाना नं० | खाता नं०. | प्लॉट नं० | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| सिलवे | 174 | 03 | 1145 | 26 डी० |

इसी को आधार मानते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचलाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान वकास्त है, तथा लगान पाने वाले का नाम दीवान शाह मानकी है। मानकी दीवान शाही अपने पीछे चार पुत्र मानकी जगरनाथ शाही, मानकी मनिन्द्र शाही, मानकी शत्रुघ्न शाही एवं मानकी लाधु शाही को छोड़ गये। मानकी लाधु शाही अपने पीछे नन्दो

22/1/25

कृ०पृ०उल्टे

22/1/25

रानी (पत्नी) को छोड़ गये। नन्दो रानी अपने पीछे जितेन्द्र नाथ शाही (आवेदक) को छोड़ गये। आवेदक की ओर से एक गवाह जितेन्द्र नाथ शाही, पिता–स्व० मानकी लाधु शाही अपने शपथ पत्र में कहते है कि वर्णित भूमि को मानकी दीवान शाही के बड़े पुत्र मानकी जगरनाथ शाही ने अपने जीवनकाल में तीनों भाई मानकी मनीन्द्र शाही, मानकी शत्रुघ्न शाही एवं मानकी लाधु शाही को 1948 ई० में खरपोश दिया था। मानकी लाधु शाही को खाता सं०–1, 2, 3 एवं 247 का कुल रकबा–55.05 एकड़ खरपोशी प्राप्त हुआ। प्रश्नगत् भूमि खाता सं०–3, प्लॉट सं०–1145 कुल रकबा–26 डिसमिल जमीन भी खतियानी है। आवेदक के पूर्वज कभी भी जमीन को नहीं बेचे है और सी०एन०टी एक्ट के तहत् परमिशन भी नहीं लिया है। विवादित भूमि अनुसुचित जनजाति की है, सामान्य वर्ग के लोग इस भूमि को नहीं खरीद सकते है, इसलिए वर्णित भूमि आवेदक को वापस होनी चाहिए। ये अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि मानकी लाधु शाही मेरे पिता थे, खतियान में वकास्त मालिक दर्ज है। मेरे पिता किसी भी व्यक्ति को जमीन नहीं बेचे हैं। डुबकु महतो के नाम से अंचल रसीद कटता है। 26 डिसमिल भूमि का अंचल में 1950 से लेकर वर्तमान तक रसीद कटा है। आवेदक की ओर से खतियान की छायाप्रति, रसीद की छायाप्रति, मानकी लाधु शाही के खाता सं०–01, 02, 03 एवं 247 कुल रकबा–55.05 एकड़ के नाम रसीद की छायाप्रति एवं दीवान शाह जानकी के नाम की खेवट सं०–02 की छायाप्रति, भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र जिसका ज्ञांपांक–129 दिनांक–12.02.2011 है कि छायाप्रति एवं जमींदारी मालगुजारी रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

विपक्षी अपने कारणपृच्छा में कहते हैं कि यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है, तथा कालबाधित है। इसलिए यह वाद पोषणीय नहीं है। वर्णित भूमि आर०एस० खतियान के रैयत मानकी लाधु शाही, पिता–मानकी दीवान शाही वकास्त मालिक है। मानकी लाधु शाही ने वर्ष–1954 ई० में निबंधित पट्टा से डुबकु महतो, पिता–मानो महतो को बेच दिया, जिसका निबंधित पट्टा संख्या–5154 है। तत्पश्चात् डुबकु महतो दखल कब्जा के साथ खेती–बाड़ी करने लगे। डुबकु महतो के नाम पर लगान रसीद कट रहा है। डुबकु महतो की मृत्यु हो गई, यह अपने पीछे जहलिया महतो, बिगलाहा महतो,

22/1/25

कृ०पृ०उल्टे

22/1/25

करिया महतो एवं गणेश महतो को छोड़ गयें। इन चारों ने आपसी बँटवारा कर दखल कब्जा के साथ जमीन पर खेती–बाड़ी करने लगे। जहलिया महतो अपने पीछे एक बेटा जगरनाथ महतो एवं बिगलाहा महतो को छोड़ गये। बिगलाहा महतो अपने पीछे जीतपाल महतो, काशी महतो एवं करमु महतो को छोड़ गये। करिया महतो अपने पीछे रामचरण महतो, सहदेव महतो एवं सुधवा महतो को छोड़ गयें। गणेश महतो अपने पीछे पुशुवा महतो, रामकृष्ण महतो, विजय महतो को छोड़ गये। जगरनाथ महतो अपने पीछे जलेश महतो और बलेश महतो को छोड़ गये। ये सभी लोग डुबकु महतो के वारिसान है। सभी लोगों को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। आगे कहते है कि मानकी लाधु शाही खतियानी मालिक नहीं है, तथा वकास्त के खतियानी रैयत लगान पानेवाले ने ही वर्णित भूमि को बन्दोबस्त कर दियें हैं। इसलिए डुबकु महतो वर्णित भूमि के मालिक है। डुबकु महतो लगान पानेवाले मानकी दीवान शाही को लगान देते आ रहें हैं। इसलिए यह वाद खारिज करने योग्य है।

विपक्षी की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत किये गवाह सं०–01 जलेश महतो, पिता–स्व० जगरनाथ महतो ने अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि प्रश्नगत् भूमि को उसके दादा डुबकु महतो ने मानकी लाधु साही से निबंधित पट्टा से खरीदें हैं, जिसका दस्तावेज सं०–5154 वर्ष 1954 है, तथा उनके नाम से मालगुजारी दे रहें हैं। ये अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि मैंने डीड देखा, डीड में परमिशन केस का जिक्र नहीं है। गवाह सं०–02 जलेश्वर महतो, पिता–करिया महतो अपने शपथ पत्र में कहते है कि डुबकु महतो ने मानकी लाधु साही से निबंधित पट्टा से जमीन खरीदा। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि जितेन्द्र नाथ शाही आदिवासी है। गवाह सं०–03 विजय कुमार महतो अपने शपथपत्र में कहते है कि डुबकु महतो की खरीदगी जमीन है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं लाधु शाही जमींदार थे। विपक्षीगण की ओर से निबंधित पट्टा की छायाप्रति, नामकुम अंचल रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया साथ में लिखित बहस भी दाखिल किया, जिसमें कहते हैं कि आर०एस० खतियान के खाता सं०–03, प्लॉट सं०–1145 खेवट सं०–02, मौजा–सिलवे में मानकी दीवान शाही का नाम दर्ज

22/1/25

कृ०पृ०उल्टे

22/1/25

है। मानकी दीवान शाही अपने पीछे चार पुत्र मानकी जगरनाथ शाही, मानकी मनिन्द्र शाही, मानकी शत्रुघ्न शाही एवं मानकी लाधु शाही को छोड़ गये। मानकी दिवान शाही के बड़े पुत्र मानकी जगरनाथ शाही वर्णित भूमि के कर्त्ता थे। इनके तीन भाई मानकी मनिन्द्र शाही, मानकी शत्रुघ्न शाही एवं मानकी लाधु शाही खरपोशदार थे। मानकी लाधु शाही को खरपोश के रूप में खाता सं०—01, 02, 03 एवं 247 कुल रकबा—55.05 एकड़ वर्णित भूमि खाता सं०—03, प्लॉट सं०—1145 खेवट सं०—02, मौजा—सिलवे आवेदक से संबंधित है, तथा आवेदक अनुसूचित जनजाति के कौम मुण्डा जाति से आते है। इनकी जमीन खरीद बिक्री के लिए उपायुक्त का परमिशन प्राप्त होना आवश्यक है, नहीं तो भूमि की खरीद—बिक्री को अवैध समझा जाएगा। विपक्षीगण द्वारा 1954 में निबंधित पट्टा से खरीदी गई भूमि का हस्तांतरण अवैध है। विपक्षीगण के गवाह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है हमलोग कुरमी महतो जाति के है। आदिवासी खाते की कोई भी भूमि को परमिशन के बिना खरीद—बिक्री नहीं किया जा सकता है। आगे कहते है कि इस वाद को कालबाधित माना नहीं जा सकता है, जिस भूमि को विपक्षीगण खरीदगी की बात करते है, वह बिल्कुल नाजायज तरीके खरीद—बिक्री किया गया है, इसलिए वर्णित भूमि के आवेदक को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापस होना चाहिए। इस संबंध में आवेदक की ओर से अनेक वाद का हवाला दिए है।

" Hon'ble High Court of **Patna Bina Rani Ghosh vs Commissioner South Chota Nagpur Division and others**' Civil Writ

Jurisdiction Case No. 610 of 1984 (R) On 03 July 1985

(A) Tenancy Law- Chotanagpur Tenancy Act, 1908, Section 71 A-

(B) Constitution Law- Constitution of India, Article 226- Power of High Courts to Issue certain writs Power to restore Possession to

(C) member of Scheduled Tribes over land unlawfully transferred.— If at any time it comes to the notice of the Deputy Commissioner that transfer of land belonging to a raiyat who is a member of the Scheduled Tribes has taken place in contravention of Section 46 or any other provision of this Act or by any fraudulent method

22/1/25

कृ०पृ०उल्टे

22/1/25

(Including decrees obtained in suit by fraud and collusion) he may, after giving reasonable opportunity to the transferee, who is proposed to evicted, to show cause and after making necessary enquiry in the matter evict the transferee from such land without payment of compensation and restore it to the transferor or his heir, or, in case the transferor or his heir is not available or is not willing to agree to such restoration, re-settle it with another raiyat belonging to the Scheduled Tribes according to the village custom for the disposal of an abandoned holding". Now, Whilst construing the aforesaid provision and in particular the word 'transfer' employed therein, one must recall the settled and indeed, the hallowed principle that a word or a phrase in statute takes its hue from the context in which it is inlaid.>

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया साथ में लिखित बहस भी दाखिल किया, जिसमें कहते हैं कि यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी के लिए जो लाया गया है, यह चलने योग्य नहीं है, तथा विपक्षीगण के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 का उल्लघंन नहीं किया गया है। यह सत्य है कि खाता सं०–03 का खतियान वकास्त दर्ज है, परन्तु लगान पाने वाले का नाम मानकी दिवान शाही दर्ज है तथा उपायुक्त के अनुमति के बिना, Occupancy रैयत को किसी भी तरह का बिक्री, गिफ्ट और एग्रीमेंट करने का अधिकार नहीं है। पूर्व जमींदार मानकी दिवान शाही और इनके पुत्र मानकी लाधु शाही रैयत नहीं है। पूर्व जमींदार मानकी दिवान शाही को यह अधिकार है कि अपने भूमि की बिक्री कर सकते है। इसलिए मानकी लाधु शाही को उपायुक्त से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने निबंधित पट्टा सं०–5154 वर्ष 1954 ई० में दुखु महतो को 350 रूपया सलामी लेकर बेच दिया। इन्होंने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46, 48 एवं 49 का उल्लघंन नहीं किया है। डुबकु महतो के नाम पर नामकुम अंचल में जमाबंदी कायम है, वे लगातार वर्णित भूमि के लिए मालगुजारी देते आ रहें है। इसलिए वर्णित भूमि को छल–प्रपंच कर नहीं लिए है। आवेदक खरपोश मालिक नहीं है। आवेदक द्वारा भू–स्वामित्व प्रमाण

22/1/25

कृ०पृ०उल्टे

22/1/25

पत्र जिसका ज्ञापांक–129 दिनांक–12.02.2011 दाखिल किया है, वह फर्जी है। विपक्षी का 1954 से जमीन पर दखल–कब्जा है, जिसपर खेती–बाड़ी करते आ रहें हैं। आवेदक ना पूर्व जमींदार है और न ही Occupancy रैयत है। प्रश्नगत् भूमि पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत यह वाद चलने योग्य नहीं है। यह मामला स्वत्व का होने के कारण, इसका निदान इस न्यायालय में न होकर व्यवहार न्यायालय, राँची में होना चाहिए। चूँकी यह वाद 70 वर्ष बाद लाया गया है, इसलिए यह वाद कालबाधित है। इस संबंध में विपक्षी की ओर से कई माननीय न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है, जो इस प्रकार है।

" The Hon'ble High Court of Jharkhand held in Budhram Bhagat Versus state of Bihar reported in 2001(3) Jhr Cr 290 (Jhr)."

" The Hon'ble Supreme Court also held in Jaimangal Oraon Versus Mira Nayak reported in AIR 2000 SC 2276."

" The Hon'ble Supreme Court in the Case of Situ Sahu and ord versus State of Jharkhand reported in AIR 2004 Sc 4198."

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुनने तथा लिखित बहस एवं दोनों पक्षों के कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह वाद स्वत्व का है, जिसका निष्पादन इस न्यायालय में संभव नहीं है। उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते है। अतः बिना किसी आदेश पारित किए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

22/1/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

22/1/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.04.09 17:48:42 +05:30
Location: 192.168.178.39